(653) (30)

5380
30/8/82

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग
वन विभाग

क्रमांक/एफ 11 (22) राज-8/78 जयपुर, दिनांक 27 अगस्त, 1982

अधि-सूचना

यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपाबंध में परिनिश्चित क्षेत्र को उसमें पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रचारण एवं उनके विकास व पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थितिक, प्राणी जातीय, वनस्पति, भू संरचना तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजन और महत्व के कारण राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की आवश्यकता है ।

अतः वन्य जीव (संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं053 की धारा 35 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको "राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का" के नाम से उदबोधित किया जावेगा, के रूप में गठित करने के अपने आशय की इसके द्वारा घोषणा करती है ।

उपाबंध

उत्तर - बारां नाहरखोरा जंगली, नल देश्वर, धमोडी, भूसूहरि, करना का बास, सरिस्का, राडूका माला, दुलार माला तालवृक्ष ।

पूर्व - नाडू जंगल, बोरेठा की पहाडी, देवरी आरक्षित वन खण्ड, सीली-बेरी आरक्षित वन खण्ड, नाहर सत्ती, पृथ्वीपुरी की पहाडी रक्षित वन, बारां ।

पश्चिम - तालवृक्ष, पहाडी राई का माला, ताल गेट, उदयनाथ ।

दक्षिण - उदयनाथ, कान्यावास ग्राम जंगली भगानी, भगानी से काली घाटी सडक नाडू वन खण्ड ।

आज्ञा से

(आनन्द मोहन लाल)
राजस्व सचिव

जयपुर, दिनांक

क्रमांक/एफ 11 (22) राज-8/78

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर ।
2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
3- समस्त निजी सचिव, मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान जयपुर ।

क्र०प०उ०--2

PTO

4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।

5- समस्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर

6- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर ।

7- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर ।

8- जिलाधीश, अलवर । कृपया वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 35(3) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 19 से 26 तक (दोनों को शामिल करते हुए) के अनुसार अविलम्ब जांच आदि की आवश्यक कार्यवाही करें एवं इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही से राज्य सरकार को समय 2 पर अवगत करावें ।

9- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक अनुभाग-3 को अतिरिक्त 10 प्रतियों सहित ।

10- गार्ड फाईल ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुन: प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।

2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

3- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय, मुद्रणालय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ

उप शासन सचिव

एम0पी0बैरवा/21.3.82

क्रमांक ऽख (14) विकास/नोटि./सरिस्का/मु.व.जी./ दिनांक

प्रतिलिपि क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ दी जाती है।

व.प्र. (व.अ.) 3/8।